न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 23/2020 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

1. सरकार जरिये मुरारी लाल प्रवर्तन निरीक्षक, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
–प्रार्थी

बनाम

श्री नारायण माली पुत्र छोटुलाल माली निवासी बागौर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –
1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 05.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा के निर्देशानुसार दिनांक 04.04.2020 को मा0 मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर को घरेलू गैस सिलेण्डर की अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ लाभ कमाने की शिकायत पर जांच दल देवनारायण सर्विस सेन्टर ग्राम बागौर तालाब की पाल के पस तहसील माण्डल पहुंचा। मौके पर श्री नारायण लाल पुत्र श्री छोटूलाल माली उपस्थित मिले जिन्होनें स्वयं को सर्विस सेन्टर का मालिक होना बताया जहा पर गैस सिलेण्डरों की तलाशी ली गई। मौके पर केबिन के अन्दर ही एक इलेक्ट्रिक मोटर एवं भारत गैस का एक सिलेण्डर मिला तथा तीन गैस सिलेण्डर बाहर रखे मिले जिनसे एल.पी.जी. को वाहनों की टंकियों में भरा जाता है, पाये गये। पूछताछ करने पर बताया कि गैस वाहनों में भरने के 70/– रूपये लिये जाते है जिससे गैस की कीमत बाजार दर से 600 से 750/– रूपये तक वसूल की जाती है। मौके पर पाये गये 04 सिलेण्डरों का वजन करवाने के पश्चात् शुद्ध वजन 42.84 किग्रा. है। श्री नारायण लाल माली द्वारा मौके पर गैस रिफिलिंग संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं न ही कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 42.84 किग्रा. एलपीजी, गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप लाईन अवैध रूप से पाई गई जिससे स्पष्ट है कि श्री नारायण लाल माली द्वारा नियमों के विरूद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं गैस रिफिलिंग मशीन का उपयोग वाहनों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के रूप में किया जाता है। अतः श्री नारायण लाल माली द्वारा एलपीजी ऑर्डर 200 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध हुआ है। अतः वजह सबूत श्री माली के कब्जे से 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 42.84 किग्रा. एलपीजी, गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर को जब्त सरकार किया जाकर ग्राम बागो में कोई गैस एजेन्सी नहीं होने के कारण श्री लोकेश कुमार चपलोत पुत्र श्री गणपत चपलोत निवासी बागोर तहसील माण्डल को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्द किये गये।

अतः निवेदन है कि श्री नारायण लाल माली पुत्र श्री छोटूलाल माली निवासी बागोर (मालिक देवनारायण सर्विस सेन्टर) के कब्जे से जब्त किये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 42.84 किग्रा. एलपीजी, गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात करने का आदेश फरमावें। चूंकि प्रकरण के अंतिम निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशीन, उडनशील एवं विस्फोटक पदार्थ है एवं गैस सिलेण्डर, गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर आदि के खराब होने की संभावना है, अतः प्रकरण में अंतिम निस्तारण का आदेश भी प्रदान करावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.08.2020 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि आरोपी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलु गैस की रिफिलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाता हैं। निवेदन हैं कि जब्तशुदा 04 गैस सिलेण्डर मय 42.84 किग्रा. एलपीजी, गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें ।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं गैस रिफिलिंग का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफिलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये चारों गैस सिलेण्डर मय नलियां एवं गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये चारों गैस सिलेण्डर मय नलियां एवं गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावें। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त चारों गैस सिलेण्डर मय नलियां एवं गैस रिफिलिंग इलेक्ट्रिक मोटर का अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ (रा.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर,
भीलवाडा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा